

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 94/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

- 1 अनोप देवी पत्नी सोहन कुम्हार निवासी रहड तह0 शाहपुरा
- 2 शंकर पुत्र सोहन कुम्हार निवासी रहड तह0 शाहपुरा
- 3 सीमा पुत्री सोहन कुम्हार निवासी रहड तह0 शाहपुरा
- 4 हेमराज, हीरालाल पुत्र सोहन कुम्हार निवासियान् रहड तह0 शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1 मदन पिता धन्ना खाती निवासी रहड तह0 शाहपुरा
- 2 भैरु पिता बालू खाती निवासी रहड तह0 शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री जयन्त ओझा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

--:: निर्णय ::--

दिनांक- 05/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - प्रार्थीगण के ग्राम रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3337/493 रकबा 0.02, 494 रकबा 0.11, 496 रकबा 0.58 कुल किता 3 रकबा 0.71 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रहड संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रहड में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदार की आराजीयात् में से 3337/493 रकबा 0.02 गे0मु0 बाड़ा को छोड़कर किता 2 रकबा 0.69 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 150/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। वाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)